अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या 636 / 2022
पंडारक थाना कांड संख्या 44 / 2022

10.11.2022

आवेदक अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ उदय की ओर से नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद पंडारक थाना कांड संख्या 44 / 2022, अंतर्गत धारा 379 भा.द.वि. से संबंधित है। इस वाद में आवेदक अभियुक्त दिनांक 27.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते है तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, कोई अपराध नही किया है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में झूठा फॅसाया गया है। जिस प्रकार की घटना प्राथमिकी में कही गई है, उस प्रकार की कोई घटना नही घटी है। अभियोजन का कथन संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय है। आवेदक अभियुक्त औपचारिक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का दो आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 27.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि, इस वाद के सूचक दासों राय है इन्होनें दिनांक 02.04.2022 को पंडारक थानाध्यक्ष को अपना लिखित आवेदन दिये है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 01.04.2022 को रात्रि में घर के बगल के बथानी में सूचक दासो राय भैंस बांधकर सोने चला गया। रात्रि समय करीब 12:30 बजे सूचक बथानी पर गया तो देखा कि पांच भैंस नहीं है तभी सभी परिवार मिलकर खोजबीन करने लगे। उसी समय गांव के ही उमेश यादव आये और बताये कि उनका भी तीन भैस बथानी में नहीं है। दोनों के परिवार भैंस का खोजबीन करने लगे परन्तु भैंस नहीं मिला। कूल आठ भैंस की चोरी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कांड दैनिकी के पारा 02, 03, 09 में साक्षीगण का बयान

अनुसंधानकर्ता के द्वारा दर्ज किया गया है। इस वाद के महत्वपूर्ण साक्षी थानाध्यक्ष चंडी है, जिन्होंने कूल आठ भैंसों के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि गुप्त सूचना मिली कि बाढ़ से हरनौत एक टक एवं एक बोलेरो से कुछ अपराधी मवेशी चोरी कर भाग रहे है। इस सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुये अन्य आरक्षीगण साथ समय 02:30 बजे बहादुरपुर कल्याग बिगहा मोड़ पर पहुंचा तथा विधिवत घेराबंदी कर आने जाने वाली वाहनों पर नजर रखने लगा। एक टक पर मवेशी के साथ कुछ लोग आ रहे थे। चंडी थानाध्यक्ष के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी एवं उसके पास से कुल आठ भैंस चोरी का बरामद किया गया था। अभियुक्तों के पास से आग्नेयास्त्र बरामद किया गया था, जिसका चंडी थाना कांड संख्या 131/2022 दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 10 में अभियुक्त अनुज कुमार का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया जिसमें अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर कूल आठ भैंसों की चोरी करने के आरोप को स्वीकार किया है। कांड दैनिकी के पारा 11 के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में बरामद कुल आठ भैसों को सूचक एवं उमेश यादव को जिम्मेनामा के आधार पर सौंपा गया है। आवेदक को कूल आठ भैंस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसमें अभियुक्त अनुज कुमार ने स्वीकार किया है कि अन्य अभियुक्तों के साथ जिसमें आवेदक का नाम है, जो घटना को अंजाम दिये है। आवेदक का दो आपराधिक इतिहास है। चंडी थानाध्यक्ष के द्वारा धारा 411 भा. द.वि. का वाद दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त का इस अपराध में संलिप्तता है।

आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की प्रकृति को देखते हुये आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं। अतः आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन एतद्नुसार अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित/शुद्धित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़